भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *119
08.12.2025 को उत्तर के लिए

'मिष्टी' योजना के तहत धनराशि का आवंटन

***119. डॉ. शशि थरूर :**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारि-पर्यटन के लिए 'तटरेखा आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल (मिष्टी)' के अंतर्गत केरल को कोई धनराशि आवंटित की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) पारि-पर्यटन परियोजनाओं के लिए 'मिष्टी' योजना के अंतर्गत धनराशि प्राप्त करने के लिए राज्यों द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा 'मिष्टी' योजना के अंतर्गत भविष्य में आवंटन के लिए केरल की पात्रता सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (ग) : विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

'मिष्टी' योजना के तहत धनराशि का आवंटन के संबंध में दिनांक 08.12.2025 को उत्तर के लिए डॉ. शशि थरूर द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *119 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ग) बजट घोषणा 2023-24 के एक भाग के रूप में, मैंग्रोव के संवर्धन एवं संरक्षण हेतु तथा तटीय पारिस्थितिकीय प्रणाली की प्रतिरोधात्मकता को बढ़ाने के लिए तटीय पर्यावासों और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल (मिष्टी) शुरू की गई है। योजना का कार्यान्वयन विभिन्न योजनाओं जैसे राज्य/राष्ट्रीय केम्पा, मनरेगा और राज्य की योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर किया जाता है। मिष्टी कार्यक्रम में मुख्य रूप से दो गतिविधियाँ जैसे वृक्षारोपण और पुनर्स्थापन तथा आजीविका विविधीकरण, जन-जागरूकता और क्षमता निर्माण, अनुसंधान एवं विकास, प्रचार-प्रसार और जन सम्पर्क, निगरानी एवं मूल्यांकन तथा स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से पारि-पर्यटन को बढ़ावा देने जैसी सहायक गतिविधियाँ भी शामिल हैं। ये गतिविधियाँ मिष्टी के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त योजनाओं के अनुसार की जाती हैं।

मंत्रालय ने मिष्टी कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु परिचालन दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनके आधार पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पारि-पर्यटन घटक, जहाँ लागू हो,को शामिल करते हुए विस्तृत योजनाएँ प्रस्तुत करते हैं। इन योजनाओं के अनुमोदन के पश्चात राष्ट्रीय केम्पा के माध्यम से गैप-फंडिंग के रूप में निधियाँ जारी की जाती हैं। मिष्टी के अंतर्गत आगे और निधियाँ जारी करने के संबंध में, केरल राज्य सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पूर्व में जारी निधियों की स्थिति से संबंधित सभी अपेक्षित दस्तावेज जैसे कि उपयोग प्रमाणपत्र, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट, केएमएल फाइलें, जियो-टैग की गई तस्वीरें आदि प्रस्तुत करने होते हैं।

केरल राज्य से प्राप्त अनुरोध के अनुसार, मिष्टी के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में ₹0.66 करोड़ तथा वर्ष 2025-26 में ₹1.014 करोड़ की राशि केरल राज्य को जारी की गई है, जिसमें पारि-पर्यटन घटक भी शामिल है, जिसके लिए वर्ष 2023-24 से 2027-28 की अवधि के लिए ₹1.31 करोड़ की राशि आबंटित कराई गई है।

*****